फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 11/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/36) **श्री पुरीलाल डांगी व अन्य बनाम श्री अभय कुमार जैन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2024	**उपस्थिति दौराने बहसः-** 1. श्री खेमराज डांगी - वकील अपीलार्थी 2. श्री अनुराग शर्मा प्रतिनिधि - वकील प्रत्यर्थी-6 व 7 3. श्री नरेश जणवा प्रतिनिधि - वकील प्रत्यर्थी-9 व 10 4. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-14 5. श्री दिलीप सुथार - वकील प्रत्यर्थी-15 6. रेस्पोडेंट-8 की ओर से लिखित बहस दिनांक 24.09.2024 को पेश। **अनवान** **1. श्री पुरीलाल पिता श्री माणा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।** **2. श्री देवीलाल पिता श्री माणा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।** **3. श्री उदयलाल पिता श्री माणा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।** **4. श्री मेघराज पिता श्री माणा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।** **अपीलार्थी** **1. श्री अभयकुमार पिता श्री भुरीलाल जैन, निवासी शौभागपुरा, बड़गावं।** **2. श्री वैभवकुमार पिता श्री नरेन्द्र कुमार धींग, निवासी शौभागपुरा, बड़गावं।** **3. श्रीमती इन्द्रा पत्नि श्री नरेन्द्र कुमार धींग, निवासी सेक्टर नम्बर-3, हिरणमगरी, उदयपुर।** **4. श्रीमती आभा पत्नि श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, निवासी शौभागपुरा, बड़गावं।** **5. श्री नरेन्द्र कुमार पिता श्री गोपीवल्लभ शरन, निवासी शौभागपुरा, बड़गावं।** **6. श्री सुरेश पिता श्री पन्नालाल जैन, निवासी 141 मौती चोहट्टा, उदयपुर।** **7. श्रीमती शशि पत्नि श्री सुरेश जैन, निवासी 141 मौती चोहट्टा, उदयपुर।** **8. श्री रणवीरसिंह पिता श्री सबलसिंह नैनावटी, निवासी 78, अशोकनगर, उदयपुर।** **9. श्री हीरालाल पिता श्री वरदा डांगी, निवासी अनुश्री वाटीका के पास, शौभागपुरा, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।** **10. श्री भंवरलाल पिता श्री वरदा डांगी, निवासी अनुश्री वाटीका के पास, शौभागपुरा, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।** **11. श्री अम्बाबाई बेवा श्री वरदा डांगी, निवासी अनुश्री वाटीका के पास, शौभागपुरा, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।** **12. श्रीमती कैलाशी पिता श्री प्रेमचन्द्रजी पत्नि श्री छगन डांगी, निवासी मोटा देवरा के पास, लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।** **13. श्रीमती फुलवन्ती पिता श्री प्रेमचन्द्रजी पत्नि श्री देवीलाल डांगी, निवासी सबलपुरा, छापरा मोहल्ला, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।** **14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गावं, जिला उदयपुर।** **15. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक नियमन/नविप्र/2000-01/236 से 240 दिनांक 18.06.2002**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 11/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/36) **श्री पुरीलाल डांगी व अन्य बनाम श्री अभय कुमार जैन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय

दिनांक 27.09.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक नियमन/नविप्र/2000-01/236 से 240 दिनांक 18.06.2002 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- राजस्व ग्राम शौभागपुरा के आराजी संख्या 557, 558, 559, 560 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 क्रमांक नियमन/नविप्र/2000-01/236 से 240 दिनांक 18.06.2002 को पारित किया गया।

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के उक्त आदेश क्रमांक नियमन/नविप्र/2000-01/236 से 240 दिनांक 18.06.2002 में आराजी संख्या 559 के संबंध में पारित आदेश से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं दफा 96 जादी का प्रस्तुत किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 95 दिनांक 05.01.2024 के क्रम में हस्तगत प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 10.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 18.09.2024 को उपरोक्तानुसार अधिवक्ता पक्षकारान मय प्रतिनिधि उपस्थित। अन्य बावजुद सूचना अनुपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण की प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम, दफा 96 जादी एवं गुणावगुण पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-9, 10 द्वारा दिनांक 23.09.2024 को लिखित बहस पेश की गई। रेस्पोडेंट-6, 7, 8 की ओर से दिनांक 24.09.2024 को लिखित बहस पेश। अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी पेश किये गये, उक्त दस्तावेज राजकीय कार्यालय से जारी प्रमाणित प्रतियां/प्रतियां होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि मौजा शौभागपुरा में आराजी संख्या 559 रकबा 0.4000 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें अपीलार्थीगण के पिता श्री माणा का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेंट संख्या 9 से 12 के मौरूस वरदा का 1/3 हिस्सा तथा भगा पिता भाना का 1/3 हिस्सा था व इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होकर अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आये है। माणा जी की मृत्यु हो चुकी है, उसकी मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान अपीलार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। भगा पिता भाना ने अपना हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 को विक्रय कर दिया है। अपीलार्थीगण एवं उसके पिता द्वारा उक्त आराजी में से अपने हिस्से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 11/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/36) **श्री पुरीलाल डांगी व अन्य बनाम श्री अभय कुमार जैन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की भूमि के संबंध में न तो धारा-90बी की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, न भूमि को समर्पण किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण एव माणा को सूचित किये बिना व बिना पक्षकार बनाये निर्णय पारित कर दिया। न ही उक्त आराजी संख्या 559 का बटवाड़ा हुआ है, ऐसे में आराजी संख्या 559 के संबंध में पारित निर्णय अविधिक होकर काबिल निरस्त के है। उक्त तथ्यात्मक स्थिति अनुसार अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते है, वह हितबद्ध पक्षकार है, इस हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी की संलग्न किया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के परोक्ष पारित किये जाने से उसे निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी, जिससे अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का भी पेश किया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को आराजी संख्या 559 की हद तक निरस्त फरमाये जानें का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी-6 व 7 द्वारा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी वर्ष 2011 में होने उपरान्त भी अपील 10 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई। अपील स्पष्टतः मयाद बाहर है। अपीलार्थी उक्त आदेश से पीड़ित पक्षकार नहीं है, इसलिए उसे धारा-96 जादी के तहत अपील पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर इंज मात्र भी कब्जा नहीं है, ना ही उसका कोई अधिकार उत्पन्न होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील कानून में पोषणीय नहीं है। स्वेछिक समर्पण की दशा में धारा-90बी के तहत अपील लाई नहीं होती है। प्रत्यर्थी द्वारा अपना हित व अधिकार रखने के आधार पर ही युआईटी द्वारा आमजन को ध्यान में रखते हुए पुर्नग्रहण आदेश किये गये है, जिसमें प्रकाशित आम सूचना का अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है, उसके आराजी संख्या 559 के पुर्नग्रहण आदेश को निरस्त करने की दाद चाही गई है जबकि उक्त अपील में दर्ज अन्य आराजी संख्या एवं आराजी संख्या 559 संयुक्त आराजीयात का होने से समस्त आराजी संख्या की 90बी की कार्यवाही निरस्त करने की अपील होनी चाहिये थी जो अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

प्रत्यर्थी-8 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में प्रस्तुत किया गया कि रेस्पोडेंट-8 द्वारा आराजी संख्या 559 में से प्लॉट नम्बर 19, 20, 21 सन् 2001 व 2003 में खरीदे गये और काबिज है। आबादी विस्तार के रूप में युआईटी द्वारा एवं प्रेरणा से कब्जे एवं स्वामित्व के आधार पर 90बी की कार्यवाही कर सभी को पट्टे जारी कर दिए गये थे, उक्त कार्यवाही प्रन्यास द्वारा 18.06.2022 को की गई थी। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर इंज मात्र भी कब्जा नहीं है, ना ही उसका कोई अधिकार उत्पन्न होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील कानून में पोषणीय नहीं है। स्वेछिक समर्पण की दशा में धारा-90बी के तहत अपील लाई नहीं होती है। अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी वर्ष 2011 में होने उपरान्त भी अपील 10 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई। अपील स्पष्टतः मयाद बाहर है। अपीलार्थी उक्त आदेश से पीड़ित पक्षकार नहीं है, इसलिए उसे धारा-96 जादी के तहत अपील पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

प्रत्यर्थी-9 व 10 द्वारा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में प्रस्तुत किया कि मौजा शौभागपुरा में आराजी संख्या 559 रकबा 0.4000 हैक्टेयर भूमि अवश्य स्थित है तथा इस भूमि के अलावा भी सहखातेदारों अन्य भूमियां भी है तथा सभी भूमियों के सहखातेदारों के मध्य पूर्व में बंटवाड़ा हो चुका है। आपसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 11/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/36) **श्री पुरीलाल डांगी व अन्य बनाम श्री अभय कुमार जैन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बटवाड़ें में प्रत्यर्थी-9 व 10 के पिता श्री वरदा ने आराजी संख्या 572 का अपना हिस्सा 1/3 हिस्सा अपीलार्थी के पिता माणा के खाते करवा दी तथा माणाजी ने आराजी संख्या 559 में अपना हिस्सा आपसी बटवाड़े अनुसार वरदा के नाम करानी थी, परन्तु उनका देहावसान होने उक्त जमीन में नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम खुल गया। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी बड़गावं समक्ष एक वाद एवं प्रतिवाद लम्बित है। अपीलार्थीगण द्वारा जानबुझकर अन्य आराजीयात के संबंध में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जबकि उक्त भूमि भी सहखातेदारी की भूमियां थी। उक्त वाद की कार्यवाही में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंटस् के अधिकार एवं हक तय होगर और यह अपील की कार्यवाही मात्र एक संक्षित कार्यवाही है, जिसमें उनके अधिकार तय नहीं हो सकते है और अपीलार्थीगण द्वारा इस हेतु वाद पत्र पेश कर रखा है। इसके अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को आरम्भ से थी क्योंकि उक्त भूमि का बेचान वर्तमान में अभिलिखित खातेदारान को पूर्व में ही हो चुका था और उनके मकानात उक्त कार्यवाही उपरान्त निर्मित किये गये जो अपीलार्थी के समक्ष ही बनाये गये। ऐसे में अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी न होना संभव नहीं है। कार्यवाही से पूर्व अखबार प्रकाशन भी कराया गया, उक्त अपील पूर्णतया मयाद बाधित है, ऐसे में यह अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अपीलार्थी उक्त निर्णय से हितबद्ध व्यक्ति नहीं है, उसे अपील पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। उक्त आदेश धारा-90बी(3) के तहत पारित किया गया है, जिसकी अपील लाई नहीं होती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावें। **अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता** द्वारा अपने कथन में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश अन्तर्गत धारा-90बी का आदेश पारित किया जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। धारा-90बी कार्यवाही से पूर्व विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अखबार प्रकाशन किया गया, जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से धारा-90बी कार्यवाही की गई। उक्त अपील मयाद बाधित है। उक्त भूमि के संबंध में पट्टे जारी होकर मकानात बन चुके है, ऐसे में अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से निवासरत खरीददारों के विरूद्ध अन्याय होगा। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। **तहसीलदार बड़गावं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा प्रकरण को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर निर्णित किये जाने का अनुरोध किया।** **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।** जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण के परोक्ष पारित किये जाने से न्यायहित में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। इसके अतिरिक्त विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण आदेशों पर मयाद के बिन्दु लागु नहीं होता है, अपीलाधीन आदेश की विधिक स्थिति में संबंध में इस निर्णय के अनुवर्ती अनुच्छेद में विवेचन किया गया है। न्यायहित में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 11/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/36) **श्री पुरीलाल डांगी व अन्य बनाम श्री अभय कुमार जैन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का भी स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि राजस्व ग्राम शौभागपुरा के आराजी संख्या 557, 558, 559, 560 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 क्रमांक नियमन/नविप्र/2000-01/236 से 240 दिनांक 18.06.2002 को पारित किया गया। उक्त आदेश पारित किये जाने समय आराजी संख्या 559 के संबंध में प्रत्यर्थीगण एवं अन्य आराजीयात के खातेदारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आवेदन अन्तर्गत धारा-90बी प्रस्तुत किये जाने के कथन किये गये। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी का प्रमुख उज्र रहा है कि उसके द्वारा अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी भूमि का समर्पण नहीं किया गया, न ही आवेदन किया, न ही उक्त आराजी संख्या 559 का बंटवाड़ा हुआ है, फिर भी आराजी संख्या 559 में उसके 1/3 हिस्से के संबंध में धारा-90बी का आदेश पारित किया गया, ऐसा आदेश आराजी संख्या 559 के हद तक अपास्त किये जाने योग्य है। इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के उज्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन एवं परिक्षण किया गया। जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 अनुसार उक्त आराजी संख्या 559 में माणा वरदा पिता भाना डांगी का 2/3 हिस्सा एवं हरकलाल का 1/3 हिस्सा खातेदार के रूप में दर्ज था। श्री हरकलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/3 हिस्से का बेचान विभिन्न व्यक्तियों की किया जो इस प्रकरण में पक्षकार संयोजित है और उक्त सभी क्रेतागण द्वारा उक्त भूमि की धारा-90बी के तहत कार्यवाही हेतु आवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी संख्या 559 के अकृषि प्रयोजन उपयोग किये जाने एवं आवेदन प्रस्तुत किये जाने से समर्पण एवं सुओमोटो अन्य आराजीयात के साथ आराजी संख्या 559 के संबंध में भी धारा-90बी के तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। हस्तगत अपील में अपीलार्थी द्वारा केवल आराजी संख्या 559 के संबंध में ही दाद चाही गई, इसलिए इस आदेश में अन्य आराजीयात के संबंध में कोई विनिश्चय नहीं करते हुए केवल आराजी संख्या 559 के संबंध में ही विनिश्चय किया जा रहा है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि मौजा शौभागपुरा में आराजी संख्या 559 रकबा 0.4000 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें अपीलार्थीगण के पिता श्री माणा का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेंट संख्या 9 से 12 के मौरूस वरदा का 1/3 हिस्सा तथा भगा पिता भाना का 1/3 हिस्सा था व इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होकर अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आये है। भगा पिता भाना ने अपना हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 को विक्रय कर दिया है। यहा लेख किया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थी, वरदा के वारिसान व अन्य के मध्य एक वाद एवं प्रतिवाद उपखण्ड अधिकारी, बड़गावं में विचाराधीन होकर लम्बित है। चूंकि धारा-90बी की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है, जिसमें किसी के हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। हक व अधिकार हेतु समक्ष न्यायालय में वाद लम्बित है, ऐसे में इस आदेश में किये गये विवेचन से किसी के हक व अधिकार तय नहीं किये जा रहे है। हक व अधिकार केवल उपखण्ड अधिकारी, बड़गावं द्वारा उनके समक्ष लम्बित प्रकरण में तय किये जावेगें क्योंकि राजस्व अभिलेखों के अंकित इन्द्राजों के सम्बन्ध में भी वाद में अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में केवल धारा-90बी के विरूद्ध अपील में यह तय किया जाना अपेक्षित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदित भूमि के संबंध में विधिक प्रक्रिया का पालन एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 11/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/36) **श्री पुरीलाल डांगी व अन्य बनाम श्री अभय कुमार जैन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिक प्रावधानों का पालन किया गया है अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर कही भी यह दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि श्री माणा व उसके वारिसान द्वारा राजस्व अभिलेख में अभिलिखित आराजी संख्या 559 में अपने 1/3 हिस्से को धारा-90बी कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष समर्पित किया हो, न ही अधिवक्ता प्रत्यर्थी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया हो जो यह साबित करता हो कि श्री माणा व उसके वारिसान द्वारा राजस्व अभिलेख में अभिलिखित आराजी संख्या 559 में अपने 1/3 हिस्से को धारा-90बी की कार्यवाही हेतु समर्पित किया हो। प्रकरण में यह भी पाया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2002 की पालना में नामान्तरकरण वर्ष 2017 में यानि 15 वर्ष उपरान्त स्वीकृत किये जाने के कथन प्रस्तुत किये है जो यह प्रकट करते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को कभी भी नहीं दी गई यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी संख्या 559 के संबंध में धारा-90बी की कार्यवाही में न्याय के सिद्वान्त के अनुरूप पारदर्शिता नहीं रखी गई जो समर्थन योग्य नहीं है। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित किये जाने से पूर्व उसे पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-559 के संबंध में आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी/उसके पूर्वाधिकारी अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया, जो किसी प्रकार से समर्थन योग्य नहीं है। वर्तमान अपील के अपीलार्थीगण द्वारा अपील मेमों एवं बहस में प्रस्तुत किया कि वह आराजी संख्या 559 में अपने 1/3 हिस्से पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। ऐसे में यह न्यायालय उचित पाता है कि आराजी संख्या 559 में अपीलार्थीगण के 1/3 हिस्से जिस पर वह काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहें, उसके संबंध में पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90बी दिनांक 18.06.2002 उनके काबिज 1/3 हिस्से तक निरस्त योग्य है और आराजी संख्या 559 के शेष 2/3 हिस्से की धारा-90बी के तहत पारित कार्यवाही यथावत रखी जावें। परिणामतः **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अन्तर्गत धारा-90बी दिनांक 18.06.2002 आराजी संख्या 559 में अपीलार्थीगण के 1/3 हिस्से, जिस पर वह काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहें है, की हद तक अपास्त किया जाता है और आराजी संख्या 559 के शेष 2/3 हिस्से व अन्य आराजीयात के संबंध में पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90बी दिनांक 18.06.2002 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी, R.A.S.) अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	